

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक 1791 / Aligarh/26736/2017, अलीगढ़: दिनांक: अक्टूबर, 30, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन0एच0-80) किमी0 05 दायी पटरी खसरा सं0-30 ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्रांक पी-98/81-2-2019-800 (144)/2019 दिनांक 19.12.2019, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1240/11-सी-FP/UP/Others /26736/2017 दिनांक 20.12.2019 एवं आपका पत्रांक 1965/14-1 दिनांक 24.12.2019, 3091/14-1 दि0 03.06.2019 एवं वरिष्ठ प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, मुरादाबाद का पत्र दिनांक 15.09.2021

महोदया,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर, सम्बन्धित अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है।

क्र0सं0	Objection	Reply
1	प्रस्ताव के भाग-2, भाग-3 एवं भाग-4 में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत संस्तुति नहीं की गयी है।	प्रस्ताव की कार्योपरान्त स्वीकृति (Expost Facto) के अन्तर्गत संस्तुति कर, Letter of Recommendation की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है कि उल्लंघन कब से किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2013 में किया गया है। (संलग्नक-A)
3	प्रस्ताव के पृष्ठ-54, 56 पर प्रयोक्ता का हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 54 व 56 पर रक्षित प्रमाण पत्रों पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। (संलग्नक-2 एवं 3)
4	पृष्ठ सं0 55 पर रक्षित Site Inspection Report के मध्य बिन्दु-ए और बी के संबंध में कथन रिक्त किया गया है।	पृष्ठ सं0 55 पर रक्षित Site Inspection Report के मध्य बिन्दु-ए और बी के संबंध में कथन अंकित कर, Site Inspection Report की प्रति, प्रमाणित करके संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
5	उल्लंघन के संबंध में Inspecting Officer के जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है।	उल्लंघन के संबंध में Inspecting Officer की जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
6	पृष्ठ सं0 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को नोटिस दी गयी है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही किये जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि उक्त अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 60 दिनों में अपना पक्ष रखा गया है कि नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।	पृष्ठ सं0 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को दिये गये नोटिस का उत्तर 60 दिनों में नहीं दिया गया है। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 15.09.2021 द्वारा निर्गत नोटिस में अपना पक्ष प्रेषित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)
7	प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-32/33 व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन पाये जाने का कथन किया गया है। विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर हुए रेंज केस इजरा किया गया है परंतु किसी तरह का प्रतिकर लिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-32/33 व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन पाये जाने के संबंध में रेंज केस सं0 23/अलीगढ़/17-18 दिनांक 07.09.2017 जारी किया गया है एवं प्रकरण में किसी भी प्रकार का प्रतिकर नहीं लिया गया है। निर्गत H2 Case न्यायालय के प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 265/35-3-3 दिनांक 20.07.2018 से क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ को प्रेषित किया गया है। जिसको H2 Case रिजिस्टर में अंकित कर, सूचना संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-7)

8	पृष्ठ सं0 73 पर रक्षित ले आउट प्लान पठनीय प्रति अपेक्षित है ?	ले-आउट प्लान की पठनीय प्रति संलग्न है। (संलग्नक-8)
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उल्लंघन किया गया अथवा प्रस्तुत करने से पहले ?	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रेषण से पहले उल्लंघन किया गया है एवं उल्लंघन के पश्चात् Ex-post facto अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

21-30/10/21

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने, दिल्ली रोड, एन0एच0-24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।